बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

स्पीड पोस्ट

संचिका सं0- 03/विविध-1043/2008 974 पटना, दिनांक- 30/10/09

प्रेषक,

मदन कुमार
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
रूपांकन एवं योजना सहित।

सभी कार्यपालक अभियंता,
रूपांकन एवं योजना सहित
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विषय- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में जिला अनुकम्पा समिति द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को भेजा जाता है तथा संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती रही है। कई अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत/अंचलान्तर्गत नियुक्ति हेतु पद रिक्त/उपलब्ध नहीं है, मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्र संख्या 2271 दिनांक 02.07.07 के आलोक में विभाग की जिम्मेवारी होती है कि अनुशंसित उम्मीदवारों का अन्य अंचलों/प्रमंडलों में नियुक्ति की जाय। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई तथा फलाफल भी सार्थक आए। इस क्रम में यह पाया गया कि विभाग द्वारा रिक्ति के विरूद्ध संबंधित अंचलों/प्रमंडलों को नियुक्ति आदेश निर्गत होने के बावजूद कई अधीक्षण अभियंता द्वारा यह कहते हुए, बिना नियुक्ति किए, उम्मीदवार का नाम वापस कर दिया गया है कि रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति कर ली गई है। कई अंचलों द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार का नाम विभाग को भेजने के उपरान्त भी अपने स्तर से नियुक्ति कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही क्षुब्ध होकर कई उम्मीदवार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है जिससे विभाग को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने स्तर से बिना मुख्यालय की अनुशंसा/अनुमोदन प्राप्त किए वर्ग 3 एवं 4 के पदो पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी जाय और सभी मामलों का निस्तार मुख्यालय स्तर पर ही किया जाय। अतः बिना विभाग के आदेश/अनुमोदन के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर तत्काल प्रभाव से/आदेश निर्गत की तिथि से रोक लगायी जाती है।

उक्त के आलोक मे सभी अधीक्षण अभियंताओं/कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह मे उनके कार्यालय के वर्ग 3 एवं 4 के पदो के रिक्ति का प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए और जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची विभाग को तुरंत भेज दें, ताकि मुख्यालय स्तर पर समेकित रिक्ति एवं अनुशंसित उम्मीदवारो की संख्या के आलोक मे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमति सम्बन्धित कार्यालय को दी जा सके।

विश्वासभाजन,

29/10/09

(मदन कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 974 पटना, दिनांक- 30/10/09

प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/09

(मदन कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव